न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड
पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 53/2019 (75 एलआरए) रामबिलास वगै बनाम राजस्थान सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2019/00067)

1 रामबिलास पुत्र श्री कंवरलाल जाति मीना निवासी आतरवाडा हाल खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
2 श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी श्री रामबिलास जाति मीना निवासी आतरवाड़ा हाल खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड़।

..... अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राजस्थान

..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार सारोला कलां
दिनांक 22.11.2019 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 01/2019

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मूलचंद मीना।
2 रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 26.02.2020

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार सारोला कलां के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 01/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सारोला कलां के समक्ष 91 राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 01/2019 पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक गाडरवाडा नूरजी ने पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट सं. 1 श्री रामबिलास पुत्र कंवरलाल ने संवत 2076 रबी में खसरा नं. 229 रकबा 13.50 बीघा किस्म चारागाह में 2 बीघा रकबा पर अलसी की फसल बोकर नाजायज कब्जा कर लिया है इसलिये इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही फरमावें। उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थी को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 3 के अंतर्गत नोटिस जारी किया

26/2

गया जिसकी तामील होकर प्रार्थी उपस्थित हुआ तथा जबाब पेश किया लेकिन नायब तहसीलदार सारोला कला ने दिनांक 22.11.2019 को एक ही दिन में सारी कार्यवाही कर अपीलांट के जबाब पर कोई विचार किये बिना छपे हुए निर्णय में खाली स्थान को भरकर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए निर्णय पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

2 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मूलचंद मीना ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के जबाब पर कोई विचार नहीं किया छपे हुए निर्णय में न्यायिक विवके का प्रयोग किए बिना खाली स्थान भर कर निर्णय कर दिया जो विधि अनुसार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व कोई साक्ष्य नहीं ली गई है व एक ही दिन में दिनांक 22.11.2019 को निर्णय पारित कर दिया है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है बल्कि ग्राम पंचायत की सर्व सम्मति से वर्ष 2004 से खसरा नं. 368 से 229 व 227 में पौधे लगाने के लिए अपीलांट ने. 2 को दी गई है जिसके आधार पर विधिवत काबिज है।

4 रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता पैरोकार सरकार बहस में कथन किया कि भूमि चारागाह है। खसरा नं. 229 पर अप्रार्थी/अपीलांट सं. 1 ने संवत 2076 रबी में अलसी की फसल बोकर अतिक्रमण किया है। निजी वन विकास के तहत ग्राम पंचायत ने परमीशन दी गई बताई है लेकिन पंचायत के कोरम की नकल नहीं हैं।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 इस अपील में अपीलांट्स ने मुख्य रूप से दो आधार लिये हैं। अपील का पहला आधार यह लिया है कि अपीलांट के जबाब को कंसीडर किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया है व निर्णय छपे छपाये प्रारूप में कर दिया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट/अप्रार्थी श्री रामबिलास का ने नोटिस का जबाब दिनांक 22.11.2019 को पेश किया है जो पत्रावली में संलग्न है। तथा पत्रावली में जो निर्णय पारित किया है वह छपा छपाया है निर्णय में यह भी छपा हुआ है कि नोटिस के अनुसार अप्रार्थी अतिक्रमण स्वीकार करता है/एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। एक जगह फ्लूड लगाकर उपर से लाइनें खींची गई हैं। अपीलांट के अधिवक्ता का यह तर्क सही है कि अपीलांट ने जबाब दिया व उसको कंसीडर नहीं किया है बल्कि अप्रार्थी अतिक्रमण स्वीकार करता है/एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है भी लिखा हुआ है।

अपीलांट ने अपील में दूसरा आधार यह लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व कोई साक्ष्य नहीं ली गई है व एक ही दिन में दिनांक 22.11.2019 को निर्णय पारित कर दिया है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है बल्कि ग्राम पंचायत की सर्व सम्मति

से वर्ष 2004 से खसरा नं. 368 से 229 व 227 में पौधे लगाने के लिए अपीलांट ने. 2 को दी गई है जिसके आधार पर विधिवत काबिज है। इस संबंध में अपीलांट ने ग्राम पंचायत का आदेश प्रस्तुत किया है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस आदेश की वैद्यता के संबंध में अपने निर्णय में विवेचन नहीं किया है तथा पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत की साक्ष्य भी नहीं ली गई है।

8 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की गई है। अपीलांट/अप्रार्थी के जबाब को कंसीडर नहीं किया है और न ही उसे खारिज किया है तथा छपे छपाये प्रपत्र में विरोधाभासी तथ्यों युक्त निर्णय पारित किया है जो कानूनन उचित नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय को विधि अनुसार व प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करना चाहिये था। अतः प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है।

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सारोला कलां का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2019 निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी की साक्ष्य ली जाकर तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाब का पूर्ण विवेचन करते हुए पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें।

Dataram 26/2/2020

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

10 निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Dataram 26/2/2020

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2020.02.26 12:43:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: